न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आरएएस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –99/2014

दायर दिनांक –10.12.2014

निर्णय दिनांक – 08.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2014/00030

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री विष्णु प्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी पिनारों की गली, होली का चौक, बड़ी बस्ती, तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

<u>राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–1. श्री निर्मलकुमार जैन, अधि0 प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के आधार [illegible]म्बर 486 का रकबा 0.15 हैक्टयर के स्थान पर 0.01 हैक्टयर एवं [illegible] 0.01 हैक्टयर के स्थान पर 0.15 हैक्टयर दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:20:32 IST
Reason: SelfAttested

08.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पुष्कर से प्रकरण की जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/रीडर/2021/1386 दिनांक 31.08.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि '' **वर्तमान जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 159 में खसरा नंबरान 504 रकबा 0.01 है0, 486 रकबा 0.15 है0 खातेदार श्रीमती आचुकी पत्नी विद्याधर जाति ब्राह्मण, छोगानाथ शिष्य बलभानाथ गूजर, विष्णुप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण, श्यामसुन्दर पुत्र मदनलाल, सत्यनारायण पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज है।** जिसका मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

हाल खसरा नंबर	रकबा	गत खसरा नंबर	रकबा
504	0.15	1119 मि.	0.04
		1120 मि.	0.11
486	0.01	1120	0.01

प्रार्थी द्वारा मिलान क्षेत्रफल अनुसार शुद्धि चाही गई है जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नंबर 504 रकबा 0.01 है. के स्थान पर 0.15 है0 एवं खसरा नंबर 486 रकबा 0.15 है0 के स्थान पर 0.01 है0 किया जाना उचित होगा।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि आधार खसरा नम्बर 486 रकबा 0.15 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 504 रकबा 0.01 हैक्टयर (खसरा नंबरों के रकबों में परिवर्तिता के कारण अशुद्धि) त्रुटिपूर्ण दर्शाया जाकर दर्ज किया गया, जिसकी शुद्धि करना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:20:32 IST
Reason: SelfAttested

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर, तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता नम्बर 486 का रकबा 0.15 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 504 रकबा 0.01 है0 दर्शाया गया है, जिसके स्थान पर संशोधन के पश्चात् नवीन राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 486 का रकबा 0.01 है0 एवं खसरा नंबर 504 का रकबा 0.15 है0 (अन्य राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

08.10.21

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:20:32 IST
Reason: SelfAttested